संख्या–2137 / 38–3–2006–500(71) / 2005

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांकः 27 जुलाई,2006

विषयः– विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–91 वि0नि0 / 38–3–2002–500(1) / 98 टी0सी0, दिनांक 10–4–2002 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत मानसिक / शारीरिक रूप से विकलॉग बच्चों की शासकीय / शासकीय अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य–दृश्य सामग्री एवं विकलॉगों के लिए कृत्रिम अंग / उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यो की दृष्टान्त सूची में निम्न व्यवस्था सम्मिलित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) मानसिक / शारीरिक रूप से विकलॉग बच्चों की शासकीय / शासकीय अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य–दृश्य साधन क्रय कर उपलब्ध कराये जायेगे, बशर्ते संस्थाओं के पास इनकी सुरक्षा के लिए उचित स्थान एवं प्राविधान हो।

(ख) विकलॉगों के लिए कृत्रिम अंग / उपकरण का क्रय। यह उपकरण विकलॉगों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये विकलॉगता प्रमाण पत्र एवं इस सम्बन्ध में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ग) क्रय किये जाने वाले उपकरण विकलॉग कल्याण विभाग में पंजीकृत संस्थाओं से ही क्रय किये जायेंगे।''

''इस हेतु मा0 सदस्य गण अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रति वर्ष अधिकतम रूपये दो लाख तथा पॉच वर्ष में रूपये दस लाख तक के प्रस्ताव दे सकते हैं।

––2 / ––

2— उक्त सीमा तक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त संशोधित समझे जायेगें।

3— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 2137(1)/38—3—2006—500(71)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन।
3— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,/दिव्यांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5— प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6— प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7— प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
8— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9— अपर आयुक्त(लेखा) ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10— समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपद से सम्बन्धित प्रत्येक मा0 सदस्य को उक्त शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12— समस्त परियोजना निदेशक/अपर जिलाधिकारी, परियोजना, उ0प्र0।
13— निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्राम्य विकास विभाग को मा0मंत्री जी के सूचनार्थ प्रेषित।
14— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
15— ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0दीक्षित)
विशेष सचिव।